3129

5000 Rs

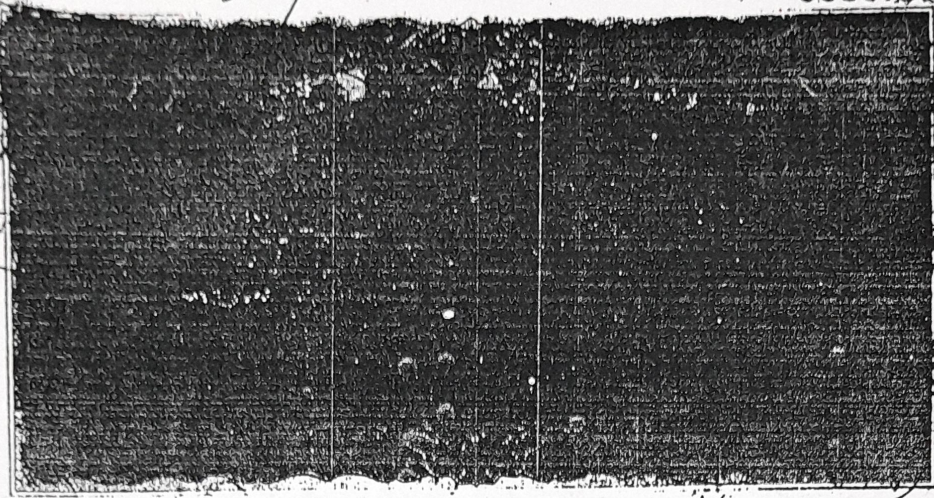

स्टाम्प रूपये 17,325.00 सालाना लीज रु -------- 4,000.00

भूमि की अपसेट प्राईज रु 2,00,000.00

कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

15 - 16, जवाहर मार्ग, इन्दौर

============

इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 54, पी.यू.4 कमर्शियल 2 एज्यूकेशन में गुजराती समाज इन्दौर का लीजडीड

======

जावक क्रमांक 1091

दिनांक 22 DEC 2000

सार्वजनिक उपयोग हेतु भूखंड लीज पर देने वाले इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्हीं से लीज पर लेने वाले गुजराती समाज इन्दौर इन्दौर की ओर से संस्था के मानद महामंत्री श्री लक्ष्मीराम भाई पटेल निवासी गुजराती समाज इन्दौर जो कि इस संस्था व्दारा अधिकृत है इन्हीं के बीच यह लीजडीड तहरीर किया जाता है ।

इस लीजडीड में वर्णित शर्ते उक्त गुजराती समाज इन्दौर उसके सदस्य एवं पदाधिकारियों पर बंधनकारक होगी ।

111 यह कि इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर की योजना क्रमांक 54 सेक्टर एज्यूकेशन में कालेज उपयोग जिसका क्षेत्रफल 503755=00 वर्गफुट अथवा 46,799.97 वर्ग मीटर है प्रथम 30 वर्ष की लीज पर कालेज उपयोग के निर्माण हेतु दी गयी है जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है ।

12 यह कि उपरोक्तानुसार 46,977.97 वर्ग मीटर भूमि का अपसेट प्राईज रुपये 2 लाख है एवं प्रिमियम पर 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से

Hon.-Gen. Secretary,
SHRI GUJARATI SAMAJ,
INDORE-1

24/12/2000

संपदा अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकरण
इन्दौर

शिक्षा अधिकारी,
(शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी)
महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

Date 6.6.90 रजि. 1491 ...

१. ... (बाधक विक्रय का)

२. विक्रय का दिनांक........ 20 AUG 1990

३. स्टाम्प का पूर्ण मूल्य (शब्दों में) 2000 2000 900 90 (...)

४. प्रारम्भिक क्रेता का नाम, पिता का नाम तथा निवास स्थान।

५. यदि स्टाम्प किसी अन्य के लिये क्रय किया गया हो तो उस व्यक्ति का नाम पिता का नाम तथा निवास स्थान।

६. संव्यवहार के पक्षकारों के नाम एवं उनके पते

७. संव्यवहार का प्रतिफल या मूल्य।

८. संव्यवहार का प्रयोजन जिस हेतु स्टाम्प क्रय किया गया है।

९. ... के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान

चारूदत्त वोराडे

स्टाम्प वेण्डर,

सब-रजिस्ट्रार कार्यालय, मोती तबेला,

(फायर ब्रिगेड के सामने) इन्दौर-४

निवास ५१/२, मोती तबेला, इन्दौर

17325=0

17325=0

5000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000 रु. Rs. 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

लीजरेन्ट रुपये 4,000.00 प्रति वर्ष अग्रिम देय है । संस्था व्दारा प्रिमियम एवं चालू वर्ष तक की लीजरेन्ट की रकम दिनांक 14-8-86 को चिल क्रमांक 3401 व्दारा जमा करा दी है ।

।3। उक्त भूमि का लीज प्रथम 30 वर्ष के लिये है उक्त अवधि के समापन पश्चात लीज का नवीनीकरण 2 बार 30-30 वर्ष के लिये आपसी सहमती एवं राज्य शासन की अनुमति से किया जा सकेगा । नवीनीकरण के समय लीजरेन्ट पचास प्रतिशत बढ़ाने का अधिकार इन्दौर विकास प्राधिकरण को होगा ।

।4। उपर दर्शाई गई भूमि लीजगृहिता को सिर्फ कालेज के उपयोग में लाने हेतु लीज पर दी गई है ।

।5। इस भूमि पर निर्माण कार्य सक्षम प्राधिकारी व्दारा स्वीकृत नक्शे अनुसार ही किया जा सकेगा । नक्शे के विरुद्ध किया हुआ कार्य अवैधानिक होगा स्वीकृत नक्शे के विरुद्ध कार्य करने की दशा में लीज निरस्त करने का प्राधिकरण को अधिकार होगा ।

।6। संस्था को दी गई भूमि का लीजडीड निष्पादन की तिथि से किसी भी स्थिती में यहाँ कालेज की शैक्षणिक गतिविधियाँ प्रारंभ करना होगी ।

।8। यह कि संस्था का शिक्षण संस्था समस्त जनता के लिये खुली रहेगी व इसे किसी भी धर्म या सम्प्रदाय विशेष के साथ नहीं जोड़ा जावेगा ।

....3...पर

29/12/2000
Hon.-Gen. Secretary
Shree GUJARATI SAMAJ
INDORE

सम्पदा अधिकारी,
इन्दौर विकास प्राधिकरण,
इन्दौर

राज्यपाल की ओर से

शिक्षा अधिकारी,
(... मण्डल ... प्राणी)

प्रथम पृष्ठ के साथ संलग्न पर्चे/स्टाम्प
अनुक्रमांक .... दि. 20 AUG 1990

आरुदत्त बोराडे
स्टॉम्प व्हेण्डर,
... कार्यालय, मोती तबेला,
... के सामने, इन्दौर-४
निवास ५४/२, मोती तबेला, इन्दौर

श्री लक्ष्याराम आ० श्री रामजीभाई पटेल

... द्वारा उप-पंजीयक ...
उप-पंजीयक के कार्यालय में
तारीख 29 DEC 2000 को
... 4100 ...
... किया गया है।

Hon.-Gen. Secretary,
SHRI GUJARATI SAMAJ,
INDORE-1

श्री लक्ष्याराम आ० श्री रामजीभाई
60/51 पटेल नगर ...

... 29.10.9...

5000 Rs.

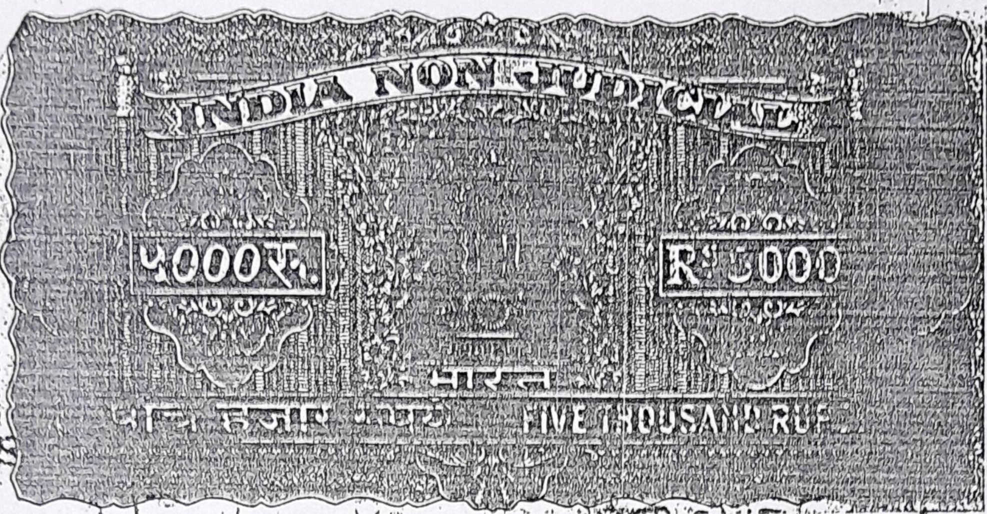

॥3॥

।9। संस्था को दी गई भूमि संस्था द्वारा किसी प्रकार से आय अर्जित करने के जैसे औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं आवासीय आदि उपयोग में नही ली जा सकेगी । यदि ऐसा किया गया तो प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वह लीज निरस्त कर बिना कोई मुआवजा दिये भूमि वापस अधिपत्य में ले लें ।

।10। यह कि गुजराती समाज इन्दौर द्वारा की जा रही शिक्षा संचालन समिति में प्राधिकरण के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति एवं एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी को स्थायी सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जावेगा तथा शासन की ओर से नामांकित व्यक्ति भी कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे ।

।11। चूंकि उक्त भूमि संस्था को रियायती । नाममात्र । के अपसेट प्राईज पर दी जा रही है । अतः संस्था उसका किसी भी रूप में हस्तान्तरण नही कर सकेगी ।

।12। संस्था को दी गई भूमि पर निर्मित भवन पर शासकाय, नगर निगम, ब्लू. नजूल आदि द्वारा जो भी कर आदि लगाये जावेंगे उनकी अदायगी का सम्पूर्ण दायित्व संस्था का रहेगा ।

।13। यह कि इस लीजडीड में जहाँ जहाँ इन्दौर विकास प्राधिकरण का उल्लेख है उसमें प्राधिकरण के उत्तराधिकारी का भी समावेश माना जावेगा ।

।14। किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में लीज निरस्त करने का इन्दौर विकास प्राधिकरण को अधिकार रहेगा एवं बिना कोई मुआवजा अदा किये भूमि अपने आधिपत्य में वापस लेने का अधिकार प्राधिकरण को होगा ।

......4.....पर

29/12/2000
Hon. Gen. Secretary,
GUJARATI SAMAJ, INDORE

सम्पदा अधिकारी,
इन्दौर विकास प्राधिकरण,
इन्दौर

शिक्षा अधिकारी,
(...लोचन अग्रणी)

प्रथम पृष्ट के साथ संलग्न पूर्वेणी स्टाम्प
अनुक्रमांक [illegible] दि. 20 AUG 1990

श्री [illegible] .../143 ...

श्री [illegible] आ० श्री [illegible]

G/10 [illegible]

... दुबारा निष्पादन/पंजीयन हेतु ... के विषय में की गई ...
... 199 29 DEC 2000

उप पंजीयक, इन्दौर (म.प्र.)

चारूदत्त मोराणे
स्टाम्प वेण्डर
... कार्यालय, मोती तबेला,
... ब्रिगेड के सामने, इन्दौर-४
निवास ५१/२, मोती तबेला, इन्दौर

Hon.-Gen. Secretary,
SHRI GUJARATI SAMAJ,
INDORE-1

... निष्पादन/पंजीयन ... [illegible] के ...
का निष्पादन मेरे समक्ष ता. ....
199.... को किया गया। 29 DEC 2000

उप पंजीयक इन्दौर (म.प्र.)

... [illegible] ...
... अधिकारी
... क्र. 402 दिनांक 29.10.[illegible]
... पंजीयक कार्यालय ...

... निष्पादन/पंजीयन ...
राजकमल [illegible] के ...
का निष्पादन मेरे समक्ष ता. ....
199.... को किया गया। 29 DEC 2000

उप पंजीयक इन्दौर (म.प्र.)

2000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२०००रु. Rs 2000

भारत

दो हजार रुपये TWO THOUSAND RUPEES

//4//

॥15॥ भवन का गंदा पानी भूमिगत गटर से संबंद्ध करना होगा जिसके लिये नियमानुसार कनेक्शन चार्जेस देना होगा, नल कनेक्शन भी नियमानुसार नगर निगम से प्राप्त करना होगा, जहाँ भूमिगत गटर चालू नहीं है वहाँ लीजगृहिता को सेप्टिक टैंक बनाना होगा ।

॥16॥ लीजगृहिता अपने प्लाट में बगैर स्वीकृति के कुआँ आदि खोद नहीं सकेगा ।

॥17॥ लीजगृहिता को शासकीय नगर निगम, डायवर्शन टैक्स तथा अन्य टैक्सेस नियमों के अनुसार देना होंगे ।

॥18॥ लीजगृहिता को लीजडीड का रजिस्ट्रेशन अपने खर्चे से करवाना होगा तथा रजिस्ट्री की फोटो कापी रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात 30 दिन के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी ।

॥19॥ अतः आज दिनांक - 22/12/2000 - - - को यह लीजडीड दोनों पक्षों ने स्वेच्छा से अपने हस्ताक्षर कर सम्पादित कर दी है ताकि समय पर उपयोगी सिद्ध हों ।

इति/इन्दौर/दिनांक

साक्षीगण

हस्ताक्षर लीजगृहिता

Hon. Gen. Secretary, SHRI GUJARATI SAMAJ, INDORE-1

शिक्षा अधिकारी,
(शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी)
महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

सम्पदा अधिकारी,
इन्दौर विकास प्राधिकरण,
इन्दौर

हस्ताक्षर लीजदाता